न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मु.नं. -35/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	पत्रावली पेश हुई । वकील वादीगण उपस्थित । प्रकरण मे बहस वादीगण एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है । प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार वादीगण का वाद बाबत् उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है । इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

26/12/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह **(RAS)**

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
35 / 2023	2023 / 170	28.03.2023	26.12.2023

उनवान प्रकरण

1.महेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री उपेन्द्र सिंह उम्र 65 वर्ष

2.रमेन्द्रपाल सिंह उर्फ रामसिंह पुत्र श्री उपेन्द्र सिंह उम्र 61 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।

—— वादीगण

——

बनाम

1. कैलाश सिंह पुत्र मगन सिंह उम्र 55 वर्ष
2. गोविन्द कंवर पत्नि सायर सिंह उम्र 85 वर्ष
3. चन्दन सिंह पुत्र अमर सिंह उम्र 50 वर्ष
4. जीतु सिंह पुत्र दातार सिंह उम्र 32 वर्ष
5. कमोद कंवर पुत्री दातार सिंह उम्र 28 वर्ष
6. कालु सिंह उर्फ नरपत सिंह पुत्र दातार सिंह उम्र 29 वर्ष
7. पुष्पा कंवर पत्नि दातार सिंह उम्र 55 वर्ष
8. मगन कंवर पत्नि दोलत सिंह उम्र 70 वर्ष
9. रतन कंवर पुत्री दोलत सिंह उम्र 45 वर्ष
10. विनोद कंवर पुत्री दोलत सिंह उम्र 42 वर्ष
11. विरेन्द्र सिंह पुत्र दोलत सिंह उम्र 40 वर्ष
12. शोभा कंवर पुत्री मदन कंवर (पत्नि हीरा सिंह) उम्र 45 वर्ष
13. भंवर कंवर पुत्री मदन कंवर (पत्नि हीरा सिंह) उम्र 45 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:00 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

14. मनोहर सिंह शेखावत पुत्र दोलत सिंह उम्र 50 वर्ष
15. महेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह उम्र 55 वर्ष
16. मान सिंह पुत्र सायर सिंह उम्र 65 वर्ष
17. प्रेम कंवर पुत्री सुगन सिंह उम्र 65 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी तन ग्राम मऊ श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
18. पटवारी ,पटवार हल्का मऊ
19. उपपंजीयक श्रीमाधोपुर
20. उपतहसीलदार अजीतगढ
21. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

—— प्रतिवादीगण ——

उपस्थितः–

श्री विक्रम सिंह बांकावत, एड0 वादीगण अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 17 की ओर से

दावा बाबत उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1978 रकबा 0.24है0, खसरा नम्बर 2013 रकबा 0.11है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35है0 अवस्थित तन ग्राम मऊ पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. के हिस्सा 1/2 भूमि पर वादीगण वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चले आ रहे है । उक्त वर्णित भूमि के हिस्सा 1/2 पर वादीगण वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चले आ रहे है । जिसकी खातेदारी राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी हक अधिकार से गलत एवं गफलत व लापरवाही करते हुये प्रतिवादीगण 1 ता 17 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:00 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
जिला– सीकर

बुजुर्गान के नाम दर्ज कर दी । जिसकी वर्तमान सर्वथा गलत खातेदारी हिस्सा 1/28 –1/28भाग की प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम, हिस्सा 1/16 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के मृतक पिता/पति दातार सिंह पुत्र उगम सिंह के नाम, हिस्सा 1/140 –1/140 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 के नाम, हिस्सा 1/16 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 की मृतक माता मदन कंवर पत्नि हीरा सिंह के नाम, हिस्सा 1/140 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 14 के नाम, हिस्सा 1/28–1/28 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 15 ता 17 के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड चली आ रही है एवं उक्त भूमि के हिस्सा 1/8 की खातेदारी गलत उच्छब कंवर पत्नि सबल सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड है । उक्त उच्छब कंवर की ना औलाद मृत्यु हो चुकी है । जिनके वारिसान भी प्रतिवादीगण ही है । जबकि उक्त भूमि पर सदैव वादीगण व इनके बुजुर्गान काबिज काश्तकार रहे है तथा वादीगण के बुजुर्गान की मृत्यु के पश्चात वादीगण अकेले ही सम्पूर्ण हिस्से की भूमि पर बहिस्सा बराबर पूर्णतया काबिज काश्त चले आ रहे है । इसी अनुसार वादीगण उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम राजस्व रिकोर्ड में दुरस्त व दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है। उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम नही होने के कारण वादीगण सरकारी सहायता अनुदान , सुविधाओं आदि से महरूम हो रहे है तथा अपने कब्जे काश्त की भूमि का समुचित उपयोग उपभोग नही कर पा रहे । उक्त भूमि का राजस्व रिकोर्ड सहवन से प्रतिवादीगण 1 ता 17 के बुजुर्गान के नाम दर्ज कर दिया गया । बाद में उनकी मृत्यु के बाद विरासत बतौर प्रतिवादीगण के नाम उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकोर्ड हो गई । जबकि प्रतिवादीगण अथवा उनके बुजुर्गान का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा । वादीगण ने अपने कब्जा काश्त की भूमि के डोल आदि लगा [illegible] पुख्ता सीमाचिन्ह आदि कायम कर रखे है । इस प्रकार प्रतिवादी [illegible] कंवर पत्नि सबल सिंह के नाम गलत रूप से दर्ज चली आ रही उक्त भूमि का राजस्व रिकोर्ड वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है । उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01.06 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

लगातार वक्त बुजुर्गान के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है । उक्त भूमि पर वादीगण व इनके बुजुर्गान के अलावा अन्य किसी का कोई कब्जा नही रहा है । बल्कि उक्त भूमि वादीगण व इनके बुजुर्गान के स्वामित्व, नियन्त्रण अधिकार मे चली आ रही । जिस पर वर्तमान में वादीगण काबिज काश्त है एवं उक्त भूमि का वादीगण को काबिज खातेदार उदघोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । प्रतिवादीगण 1 ता 17 वादीगण को उक्त भूमि की खातेदारी दुरस्त करवाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड दर्ज करवाने का आश्वासन देते रहे , परन्तु अर्सा करीब 10 दिन पूर्व वर्तमान में जमीनो की बढती किमतो को देखकर प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ जाने के कारण उक्त भूमि का राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करवाने से मना कर दिया । वादीगण ने समय समय पर उक्त भूमियों को अपनी स्वयं की मेहनत व लाखों रूपये लगाकर लगातार उन्नत एवं उपजाउ बनाया है । भूमियों को समतल करवाया है । वादीगण उक्त भूमियों पर वक्त बुजुर्गान के समय से काबिज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है , लेकिन उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम नही होने के कारण वादीगण को सख्त हकतल्फी है। वादीगण सरकारी सहायता, ऋण अनुदान, किसान केडिट कार्ड वगैरह से वंचित हो रहे है एवं खातेदार काश्तकार को मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित हो रहे है तथा वादीगण के विधिक हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है । अगर गलत खातेदारी की आड में वादीगण को बेदखल कर दिया गया तो वादीगण बरबाद हो जावेगे । इसलिये प्रतिवादीगण की उक्त गलत, अवैध, विधि विरूद्व एवं मनमानी कार्यवाही को वादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के विधिक अधिकारी है । इसलिये प्रतिवादीगण को उनके उक्त बैजा एवं अवैध काम के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । प्रतिवादीगण 1 ता 17 वादीगण को उक्त भूमि की खातेदारी दुरस्त करवाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड दर्ज करवाने का आश्वासन देते रहे , परन्तु अर्सा करीब 10 दिन पूर्व वर्तमान में जमीनो की बढती किमतो को देखकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:00 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23

प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ जाने के कारण उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरस्त करवाने से मना कर दिया । इस पर वादकारण उत्पन्न होकर वादपत्र माननीय न्यायालय हाजा में पेश करना लाजिमी हुआ है ।

वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1978 रकबा 0.24है0, खसरा नम्बर 2013 रकबा 0.11है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35है0 अवस्थित तन ग्राम मऊ पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. के हिस्सा 1/2 भूमि का वादीगण को काबिज खातेदार उदघोषित फरमाया जाकर तत्प्रमाणिक असर स्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम, प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के मृतक पिता/पति दातार सिंह पुत्र उगम सिंह का नाम, प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 का नाम, प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 की मृतक माता मदन कंवर पत्नि हीरा सिंह का नाम, प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 का नाम व ना आलौद फौत खातेदार उच्छब कंवर पत्नि सबल सिंह का नाम राजस्व रिकोर्ड से हजफ फरमाया जावे एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 21 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे ।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 1,3,14,15,16 की ओर से श्री रघुनाथ सिंह शेखावत एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया । प्रतिवादी संख्या 2, 4 ता 13 एवं 17 ता 19, 21 की सम्यक तामिल होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2, 4 ता 13 एवं 17 ता 19, 21 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1,3,14,15,16 को कई अवसर जबाब दावा पेश किये जाने के दिए जाने व उनकी ओर से [illegible] अधिवक्ता उपस्थित नही आने के कारण प्रतिवादी संख्या 1,3,14,15,16 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 6 की तामील जरिये राज्य स्तरीय समाचार पत्र करवाये जाने के आदेश दिये गये । प्रतिवादी संख्या 6 की तामील जरिये राज्य स्तरीय दैनिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:00 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 26/12/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-सीकर

समाचार पत्र करवाये जाने के बावजुद एक माह से अधिक अवधि व्यतित होने के बावजुद प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से कोई हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादी संख्या 6 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 19 के खिलाफ वादपत्र प्रत्याहृत करने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रतिवादी संख्या 19 के खिलाफ वादपत्र प्रत्याहृत करने की अनुमति प्रदान की गई ।

साक्ष्य वादी में मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पीडब्लु –1 महेन्द्र पाल सिह पुत्र उपेन्द्र सिंह उम्र 61 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मऊ, पीडब्लु –2 प्रहलाद नारायण पुरोहित पुत्र सत्यनारायण जाति पुरोहित निवासी ग्राम मऊ, पीडब्लु –3 मोहनलाल यादव पुत्र रामदेव उम्र 55 वर्ष जाति अहीर निवासी ग्राम मऊ के लिखितशुदा शपथ पत्र मय फर्द दस्तावेज पेश हुये। जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादी ने साक्ष्य वादी में दस्तावेज प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2074–2077, प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 3 बही लिखावट, प्रदर्श 4 अनुवाद बही लिखावट, प्रदर्श 5 गिरदावरी संवत 2030 से 2033 पेश किये। वकील वादीगण व पक्षकारान ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर प्रकरण निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने व हाजिर हुये प्रतिवादी संख्या 1,3,14,15,16 की ओर से भी कोई जबाब दावा पेश नही करने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2074–2077, प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 3 बही लिखावट, प्रदर्श 4 अनुवाद बही लिखावट, प्रदर्श 5 गिरदावरी संवत 2030 से 2033 इत्यादि दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2074–2077 के अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1978 रकबा 0.24है0, खसरा नम्बर 2013 रकबा 0.11है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35है0 अवस्थित तन ग्राम मऊ पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:00 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23

के हिस्सा 1/28 –1/28 भाग की प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम, हिस्सा 1/16 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के मृतक पिता/पति दातार सिंह पुत्र उगम सिंह के नाम, हिस्सा 1/140 –1/140 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 के नाम, हिस्सा 1/16 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 की मृतक माता मदन कंवर पत्नि हीरा सिंह के नाम, हिस्सा 1/140 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 14 के नाम, हिस्सा 1/28–1/28 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 15 ता 16 के नाम, हिस्सा 1/28 की खातेदारी प्रतिवादिया संख्या 17 के मृतक पिता सुगन सिंह के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकोर्ड है तथा हिस्सा 1/8 की खातेदारी उच्छब कंवर पत्नि सबल सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड है । उक्त दोनो खसरा नम्बर 1978 व 2013 के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 के अनुसारं पुराने खसरा नम्बर 705 है । जिसके संबंध में दस्तावेजात प्रदर्श 3 बही लिखावट, प्रदर्श 4 अनुवाद बही लिखावट से प्रतिवादीगण 1 ता 17 के बुजुर्गान जस्सू सिंह, सुगन सिंह, मगन सिंह, सायर सिंह पुत्रगण मांगू सिंह के द्वारा दिनांक 14.12.1962 को पुराने भूमि खसरा नम्बर 705 को 145 रूपये रोकडी व खेडा हनुमान सागर की दो बीघा कच्ची भूमि के एवज में वादीगण के पिता उपेन्द्र सिंह व बुजुर्गान परमानंद सिंह , हाकम सिंह को बेचान किया जाना दर्शित होता है तथा उक्त भूमि का कब्जा इनको संभलाया जाना साबित होता है । जिसके साक्ष्य स्वरूप प्रदर्श 5 गिरदावरी संवत 2030 से 2033 में वादीगण के पिता व बुजुर्गान का नाम अंकित हुआ है । गवाहान ने अपने सशपथ बयानो में वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होने के कथन किये है। इसके अलावा प्रकरण हाजा में प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने के वावजुद उपस्थित नही आने एवं उपस्थित आये प्रतिवादी संख्या 1,3,14,15,16 के द्वारा भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अभिवचनों का खंडन नही करने से भी वादीगण का वादपत्र साबित होता है । जमाबंदी के वर्तमान खातेदारान व उनके वारिसान की जरिये सम्मन तामील होने के बावजुद वादीगण के वादपत्र का कोई खंडन नही किया गया है। इसके चलते वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत उदघोषणा व

26/12/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:00 IST
Reason: SelfAttested

स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1978 रकबा 0.24है0, खसरा नम्बर 2013 रकबा 0.11है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35है0 अवस्थित तन ग्राम मऊ पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. के हिस्सा 1/2 भूमि का वादीगण को काबिज खातेदार उदघोषित किया जाकर तत्प्रमाणिक असर स्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम, प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के मृतक पिता/पति दातार सिंह पुत्र उगम सिंह का नाम, प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 का नाम, प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 की मृतक माता मदन कंवर पत्नि हीरा सिंह का नाम, प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 व प्रतिवादिया संख्या 17 के मृतक पिता सुगन सिंह पुत्र मांगू सिंह का नाम व ना आलौद फौत खातेदार उच्छब कंवर पत्नि सबल सिंह का नाम राजस्व रिकोर्ड से हजफ फरमाया जाना एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 21 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। उक्तानुसार घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

——:: क्रियात्मक आदेश ::——

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1978 रकबा 0.24है0, खसरा नम्बर 2013 रकबा 0.11है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35है0 अवस्थित तन ग्राम मऊ पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. के हिस्सा 1/2 भूमि का वादीगण को काबिज खातेदार उदघोषित किया जाता है एवं तत्प्रमाणिक असर स्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम, प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के मृतक पिता/पति दातार सिंह पुत्र उगम सिंह का नाम, प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 का नाम, प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 की मृतक माता मदन कंवर पत्नि हीरा सिंह का नाम, प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 व प्रतिवादिया संख्या 17 के मृतक पिता सुगन सिंह पुत्र मांगू सिंह का नाम व उच्छब कंवर पत्नि सबल सिंह का नाम राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01.00 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23

रिकोर्ड से हजफ फरमाया जाता है एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 21 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाता है कि वादीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि के वादीगण के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करे। इसी अनुसंार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

26/12/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 26.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/12/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:00 IST
Reason: SelfAttested